न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू.अधि./12/2019/बाड़मेर

अपीलांट

आम जनता ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी तहसील बायतु जरिये

1. घमण्डाराम पुत्र कुम्भाराम उम्र 35 वर्ष
2. किशनाराम पुत्र कंवराराम उम्र 37 वर्ष जातियान जाट निवासी हुडों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. भगवानाराम पुत्र गुलाराम
4. घमण्डाराम पुत्र ईशराराम
5. सुरताराम पुत्र नगाराम
6. नेनाराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी हुडों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर।
2.तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर
3.सरपंच,ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी तहसील बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु ने खसरा संख्या 595/88 में रकबा 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राजेश विश्नोई अपीलान्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलांट संख्या 03 से 06 की ओर से।
3. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
4. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 09.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में मूल ग्राम पंचायत कोसरिया से नवसृजित ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी का गठन किया गया था तथा नवसृजित ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी का मुख्यालय मर्ज विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुडों की ढाणी में संचालित किया जाने लगा तथा वर्तमान में भी इसी मर्ज विद्यालय भवन में ग्राम पंचायत मुख्यालय का संचालन किया जा रहा है जिसके खसरा संख्या 449/216 रकबा 03 बीघा है। मर्ज विद्यालय के सेढासेढ ही सरकारी भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 02.02 बीघा आई हुई है जो कि ग्राम पंचायत के लिये पूर्णतया उपयुक्त भूमि है तथा ग्राम पंचायत के मध्य भी स्थित है तथा इसी सरकारी भूमि के पास ही भामाशाह द्वारा खसरा संख्या 185 में से 05 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को निःशुल्क दान की जा चुकी है इस प्रकार वर्तमान संचालित मुख्यालय के पास कुल 11 बीघा भूमि ग्राम पंचायत हेतु पर्याप्त रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपलब्ध है तथा उक्त स्थल पर समस्त सरकारी भवन बने हुए है एवं आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ता व सड़क मार्ग बाड़मेर से बाटाडू व बाड़मेर से भीमड़ा जाने वाली सड़के चलती है तथा सभी प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध है। ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी के वर्तमान सरपंच द्वारा अपने निजी लाभ के लिये ग्राम पंचायत का मुख्यालय प्रारम्भ से संचालित स्थल पर न रखकर मूल मुख्यालय से डेढ किमी दूर एकांत व विरान स्थल खसरा संख्या 595/88 में से 02.10 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु उतरदाता संख्या 01 से दिनांक 16.03.2018 को आवंटित करवा दी गई जो आम जनता के हितों को अनदेखा करते हुऐ मात्र अपने निजी फायदे के लिये आंवटित करवायी है। अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 03 के दबाव में झूठी कार्यवाही एक ही दिन में कर उसी दिनांक 16.03.2018 को जारी करवाया गया है जिससे साबित है कि उक्त आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से राजनैतिक दबाव बनाकर जारी करवाया गया है जो कतई विधि सम्मत न होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में मूल ग्राम पंचायत कोसरिया से नवसृजित ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी का गठन किया गया तथा नवसृजित ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी का मुख्यालय मर्ज विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुडों की ढाणी में संचालित किया जाने लगा तथा वर्तमान में भी इसी मर्ज विद्यालय भवन में ग्राम पंचायत मुख्यालय का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान संचालित मुख्यालय के पास ही समस्त सरकारी भवन बने हुऐ है तथा समस्त सरकारी सुविधाऐं राजकीय आदेर्श सीनियर विद्यालय हुडों की ढाणी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी सार्वजनिक दुकानें, सामुदायिक भवन, बालिका प्राथमिक विद्यालय, बस स्टेण्ड, बाबा रामदेव विश्राम गृह व दो मंदिर, पानी की होदी, टांके आदि वर्षों से बने हुऐ है तथा उक्त स्थल पर आने जाने हेतु पर्याप्त रास्ता व सड़क मार्ग से जुड़े हुए है। उपरोक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि जीवनराम ने समर्पण की। ग्राम पंचायत गठन के बाद 05 बीघा भूमि खसरा संख्या 596/595 का प्रस्ताव भेजा। दिनांक 16.03.2018 को पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया जो मूल मुख्यालय से डेढ किमी दूर एकांत व विरान स्थल खसरा संख्या 595/88 में से 02.10 बीघा भूमि समर्पित करवाकर ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु उतरदाता संख्या 01 से दिनांक 16.03.2018 को आवंटित करवा दी गई जो आम जनता के हितों को अनदेखा करते हुऐ वर्तमान सरपंच ने मात्र अपने निजी फायदे के लिये आंवटित करवायी है। अपीलाधीन आदेश उतरदाता संख्या 03 के दबाव में झूठी कार्यवाही एक ही दिन में कर उसी दिनांक 16.03.2018 को जारी करवाया गया है। आवंटन सुदा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर वित्तीय स्वीकृति नहीं है। आवंटित भूमि पर ग्राम पंचायत भवन एस.एफ.सी–5 के तहत ग्राम पंचायत निर्माण करवा रही है जो गलत है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट संख्या 03 से 06 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों में 05.00 बीघा घटाकर 02.10 बीघा कर दी कमी करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। राज्य सरकार के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर ही पंचायत भवन हेतु भूमि का आवंटन किया जाना न्यायोचित है। पंचायत के वर्तमान मुख्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय से सभी गांव जुड़ते है। अतः अपीलधीन आवंटन आदेश खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम हुडों की ढाणी के खसरा संख्या 595/88 रकबा 06.00 बीघा बा.दो. मे से 02.10 बीघा राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 के तहत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 216 रकबा 02.02 बीघा भूमि पर राजकीय बालिका उ.प्रा.विद्यालय सचालित है। खसरा संख्या 185 में 23.08.2018 व 30.06.2018 को क्रमशः 03, 02 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कराई हुई है जो ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन होने के पश्चात करवाई गई। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में मूल ग्राम पंचायत कोसरिया से नवसृजित ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी का गठन किया गया। नवगठित ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी में 05 राजस्व ग्राम है। पंचायत पुनःगठन की प्रक्रिया को कही चुनौती नहीं दी। अस्थायी तौर से रा.प्रा.वि. में पंचायत भवन का संचालन हो रहा था। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.03.2018 को नियम 1963 के तहत जारी किया गया जिसको कही पर चुनौती नहीं दी गई। पंचायती राज अधिनियम 92 के तहत पंचायत प्रस्ताव को कहीं पर चुनौती/विरोध नहीं किया गया। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा न ही अपील के साथ अपील अनुमति बाबत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र ही पेश किया गया है जिससे इनको अपील पेश करने की अनुमति दी जा सके। अतः अपीलांटगण अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन आवंटन की शर्तो के तहत 06 माह में निर्माण जरूरी था इसलिए पंचायत भवन का निर्माण शुरू करवाया। अपीलांटगण ने खसरा संख्या 185 में दिनांक 23.03.2018 व 30.06.2018 को भूमि का समर्पण करवाया गया जो अपीलाधीन आवंटन आदेश के बाद में समर्पण करवाई गई। अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवंटन विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(1) Page 913
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पेज 107
अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश गुप्त तरीके से पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं हो सकी परन्तु वर्तमान में सरपंच द्वारा भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तो अपीलांटगण सहित गांववासियों ने विरोध किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नकले दिनांक 18.04.2019 को प्राप्त की गई तब ज्ञात हुआ कि वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति भी जिला कलक्टर द्वारा मुख्यालय से भवन दूर होने से निरस्त की गई है गलत स्थान पर भूमि आवंटित करवाई गई है तब अपीलांटगण ने आलोच्य आदेश की नकल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उतरदाता संख्या 01 से दिनांक 02.05.2019 को प्राप्त की गई। जिस पर अपीलांटगण को सम्यक रूप से जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी द्वारा पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 22.05.2015 पारित किया गया था और उसी के क्रम में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2018 पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को भली भांति थी। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 16.03.2018 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी करने के बाद में अपीलांटगण द्वारा दिनांक 23.03.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

व 30.06.2018 को भूमि समर्पण करवाई गयी है जो अपीलाधीन आवंटन आदेश के जारी होने के बाद में समर्पण करवाई गयी है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार करना संभव नहीं था। अपीलांटगण की उक्त कार्यवाही दुराशय पूर्ण है जिसके कारण पंचायत पुनःगठन के तकरीबन 4 साल बितने के बाद भी ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका है। हस्तगत अपील में दिनांक 14.05.2019 को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दूसरे पक्ष को सुने बिना मामले को अपीलांटगण द्वारा लंबा खिचना विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। जिला प्रशासन आवंटन आदेश जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यदि अन्य स्थान पर आवंटन करता है तो सक्षम है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु ने खसरा संख्या 595/88 में रकबा 02.10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत हुडों की ढाणी के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित आदेश दिनांक 16.03.2018 को यथावत रखा जाता है।

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner